International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.340, Volume 03, No. 03(I), July - September, 2021, pp.207-210

भारत के विभिन्न राज्यों में वस्तु एवं सेवाकर की स्थिति

लखन लाल चौकसे*

सार

वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम लोकसभा में 29 मार्च 2017 को पारित किया गया। यह अधिनियम 01 जुलाई 2017 से देश में प्रभावशील हो गया। वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो कई अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर लागू किया गया। पहले देश में अप्रत्यक्ष करों वस्तु पर लगने वाला कर वस्तु के प्रत्येक स्तर पर मूल्य बढ़ता जाता था परन्तु अब जीएसटी की वजह से वस्तु पर केवल एक बार कर लगाया जाता है। पूर्ववर्ती करों में हर राज्य में विभिन्न प्रकार के अलग–अलग कर शामिल होते थे अब वस्तु के कई करों के स्थान पर एक ही कर लगाया जाता है जिसे वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जाता है।

शब्दकोशः *वस्तु एवं सेवा कर, कर ढ़ाँचा, संरचना, संग्रहण, मूल्य वृद्धित।*

प्रस्तावना

संविधान ने केन्द्र सरकार को सेवाओं की आपूर्ति पर विनिर्माण और सेवा करों पर उत्पाक शुल्क लगाने का अधिकार दिया है। इसी प्रकार यह राज्य सरकार को माल की बिक्री पर राज्य का कर लगाने का अधिकार देता है। जिसे राज्य सरकार मूल्य वृद्धित कर (वैट) के रूप में प्राप्त करती है। राजकोषीय शक्तियों के विभाजन से अलग अलग राज्य अलग कर लगाने लगें एवं एक ही वस्तु का अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग मूल्य निर्धारित होने लगा। इसके अलावा कई राज्य अपने इलाके में माल के प्रवेश पर भी कर लगाने लगें। अतः उपभोत्ता पर कर का बोझ अधिक पड़ने लगा और एक वस्तु का कर कई बार चुकाना पड़ता था। अतः दोहरे कर की मार आखिर में आम आदमी को ही वहन करनी पड़ती थी।

इस बड़ी और गम्भीर समस्या को दूर करने के लिये सरकार ने एक एकल कराधान प्रणाली आरम्भ की है। जिसको जीएसटी अर्थात वस्तु एवं सेवा कर नाम गया। जिसमें सारे अप्रत्यक्ष करों को हटाकर केवल एक वस्तु एक कर है। जीएसटी अर्थात (Goods and Service Tax) वस्तु कर सेवाकर है। यह केन्द्र और राज्य द्वारा लगाये गये करों के स्थान पर पूरे भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है।

वस्तु एवं सेवा कर भारत में 01 जुलाई 2017 से लागू है। स्वतंत्रता के पश्चात् यह सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। संविधान में 122 वां संशोधन किया गया तथा 29 मार्च 2017 को संसद में इसे पारित किया गया तथा यह 01 जुलाई 2017 से पूरे दे में लागू है। इससे पूर्व दे में किसी भी वस्तु पर 30 से 35 प्रतिशत कर देना पड़ता था कुछ वस्तुओं पर तो 50 प्रतिशत से भी ज्यादा कर देना पड़ता था। परन्तु वस्तु एवं सेवा कर लागू होने के बाद प्रत्येक वस्तु पर न्यूनतम 5 एवं अधिकतम 28 प्रतिशत कर लगता है।

अध्ययन की आवश्यकता

- GST से पूर्व की दरों एवं संरचना में एकरूपता नहीं थी।
- राज्य स्तर पर विक्रय कर या वैट का भूगतान करते समय विनिर्माण राज्य में कोई उत्पाद शुल्क नहीं था और सेवा कर व्यापारियों को नहीं मिलता था।
- एक राज्य के करों का भूगतान दूसरे राज्य में अप्रभावी हो जाना था दूसरे राज्य में अलग से कर का भुगतान करना पड़ता था। इसलिये टैक्स पर टैक्स के कारण माल की कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ जाती थी।

---

[6] शोधार्थी वाणिज्य, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, म.प्र.।

- जीएसटी के लागू होने से कर सुधारों में आम आदमी को करों से बड़ी राहत मिली है।

अध्ययन के उद्देश्य

- भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के मूल्यांकन की गहराई से समझ हासिल करना।
- वस्तु एवं सेवा कर की प्रणाली तथा पुरानी मूल्य वृद्धित कर प्रणाली को अलग अलग समझना
- प्रत्येक राज्य में जीएसटी संग्रह का पता लगाना।
- प्रत्येक राज्य से प्राप्त जीएसटी समंकों का विश्लेषण करना।

अध्ययन का महत्व

यह दे विभिन्न राज्यों के मध्य GST के कार्यान्वयन के बारे में एक विस्तृत अध्ययन हैं। GST लागू होने पर कर की दरों में एकरूपता का वर्णन है। अध्ययन में वस्तु एवं सेवाकर की प्रणाली के लाभों एवं पुरानी मूल्य वर्ध्वित कर प्रणाली की कमियों से आम जन अवगत होगें।

अध्ययन का सीमाएं

- अध्ययन दिसम्बर 2019 तक केन्द्रित है।
- अध्ययन में द्वितीयक समंकों का उपयोग किया है।
- दे के अन्य आर्थिक कारकों के आधार पर वस्तु एवं सेवा कर के प्रतिशत में बदलाव हो सकता है।

वस्तु एवं सेवा कर के इतिहास का सिंहावलोकन

- 2006 : 2006 – 2007 के बजट के दौरान केन्द्रीय मंत्री द्वारा GST की पहली घोषणा की गई थी कि इसे 01 अप्रैल 2010 को पेष किया गया जायेगा।
- 2009 : अधिकार प्राप्त समिति में पहला पर्चा जारी किया।
- 2011 : 115 वां संसोधन पेश किया गया बाद में इसे रद्द कर दिया गया।
- 2014 : 122 वे संसोधन बिल को लोकसभा में पेश किया गया।
- 2016 : सितम्बर 2016 में GST समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई
- 2017 : मार्च 2017 में GST समिति द्वारा CGST, SGST, IGST, UTGST और उपकर की सिफारिश की गई।
- अप्रैल 2017 में CGST, SGST, IGST, UTGST और उपकर अधिनियम पारित किये गये।
- 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम पूरे भारत दे में लागू किया गया।
- 7 जुलाई 2017 को जम्मू एवं कश्मीर विधान परिषद् में वस्तु एवं सेवा कर पारित हुआ।

वस्तु एवं सेवा कर का वर्गीकरण

GST को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है–

CGST – CGST एक केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर है। यह राज्य के भीतर काम करने वाले आपूर्तिकर्ताओं पर लागू है जो कर संग्रहण किया जाता है। वह केन्द्र सरकार द्वारा राज्य का हिस्सा दिया जाता है।

SGST – एक राज्य माल एवं सेवा कर यह राज्य के भीतर काम करेन तथा आपूर्तिकर्ताओं पर लागू होता है। जो भी SGST संग्रहण किया जाता है उसे राज्य एवं केन्द्र द्वारा बाटा जाता है।

IGST – एकीकृत माल एवं सेवा के लिये IGST है। यह उन आपूर्तिकर्ताओं के लिये लागू होता है जो अन्तर्राज्यीय व्यापार करते हैं। जो भी संग्रहण होता है कर उसे आपस में राज्य और केन्द्र का हिस्सा बाट लिया जाता है। UTGST – यदि लेन देन या आपूर्तिकर्ताओं केन्द्रशासित प्रदेश से है तो वह UTGST के अन्तर्गत आता है।

लाभ

- GST राष्ट्रीय स्तर पर बाजार को प्रभावशाील एवं सबकी पहुंच तक रखता है।
- विदेशी निवेशकों को आकर्षित करता है।
- कर की प्रणाली को एकरूपता प्रदान करता है।
- उत्पादन में गुणवत्ता एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
- छोटे एवं खुदरा व्यापारियों के पास शून्य या कम कर होता है।
- उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करता है।

निष्कर्ष

- जहां दिसम्बर 2018 में 69934 करोड़ कुल GST संग्रह हुआ था वही दिसम्बर 2019 में 80747 करोड़ कुल GST संग्रह हुआ है। इस प्रकार कुल औसत वृद्धि 16 प्रतिशत रही है।
- सबसे कम वृद्धि 2 प्रतिशत उड़ीसा में हुई है तथा सबसे अधिक वृद्धि 124 प्रतिशत अरूणाचल प्रदेश में है।
- यहां दो राज्य ऐसे भी हैं जहां वृद्धि के बजाय कमी हो गई वह राज्य लक्ष्यद्वीप एवं झारखण्ड है।
- GST संग्रहण की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है तथा सबसे छोटा राज्य लक्ष्यद्वीप है।

सुझाव

- वित्त मंत्रालय द्वारा कर जागरूकता के लिये सभाएं आयोजित करना चाहिये।
- वित्त मंत्रालय द्वारा जमीनी स्तर पर निगरानी समिति बनानी चाहिये।
- सरकार द्वारा कर स्लैब का 3 या 2 ही प्रकार रखना चाहिये।
- अनिवार्य वस्तुओं को सबसे कर मुक्त करना होगा।

उपसंहार

अब तक भारत में छोटी छोटी 29 कर संरचनाओं का ढ़ॉचा चल रहा था और प्रत्येक राज्य अलग अलग कर प्राप्त करते थे। वर्तमान में केन्द्र और राज्यों द्वारा कई कर दरों के एक साथ दूर होने के कारण कर ढ़ांचे में बहुत सुधार हुआ है

सरकार द्वारा GST का लागू करना एक सबसे अच्छा निर्णय है। GST को लेकर आम जनता में भ्रम और जटिलताएं आरम्भ में जरूर थी परन्तु वह अभी एक–एक कर दूर हो रही है। हालांकि कर संरचना पुरानी कर संरचना से काफी हद तक लाभदायक है तथापि इस संरचना में अभी भी सुधार की संभावनाएं बनी हुई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. www.cleartax.com
2. www.budght.com
3. www.mp.govcom
4. GST डिजिटल ई–बुक चातुर्थ संस्करण–सुधीर हालाखेड़ी
5. माल और सेवाकर– डॉ. एच.सी. मेहरोआ, प्रो. बी.पी. अग्रवाल (साहित्य भवन पब्किकेशन आगरा)
6. www.taxguru.in
7. www.finmin.nic.in
8. Makherjee, Sacidananda, 'present state of GST Reforms in india', Working Paper no. 2015 – 154, National Institute of public finace & police New Dehli, www.nipfp.org.in
9. Sehrawat monika, Upasa Dhanda, 'GST in india : Akey Tax Reform', Iternational Journal of Reseach – Granthalaya, Vol – 3 (Issue 12; Des 2015), Pg 133 -141

10. Kumar P, 'Impact of GST on Indian Economy', International Journalof Reseach of Information and Futuristic Reseach, Vol – 4, Des – 2016

11. Reserv Bank of India, 'GST: a Game Changer', 12 may 2019, hhtt://m.org.in/scripto/publication

12. www.india.gov.in

तालिका 1: भारत के विभिन्न राज्यों में वस्तु एवं सेवा कर की स्थिति (राशि करोड़ में)

क्रं.	राज्य	दिसम्बर 2018	दिसम्बर 2019	वृद्धि (प्रतिशत में)	क्रं.	राज्य	दिसम्बर 2018	दिसम्बर 2019	वृद्धि (प्रतिशत में)
1	अरूणाचल प्रदेश	26	58	124	19	मिजोरम	13	21	60
2	असम	743	991	33	20	मेघालय	108	123	14
3	अंडमान एवं निकोबार	22	30	36	21	मध्यप्रदेश	2094	2434	16
4	आन्ध्रप्रदेश	2049	2265	11	22	महाराष्ट्र	13524	16530	22
5	बिहार	909	1016	12	23	नागालैण्ड	17	31	88
6	चंडीगढ़	143	168	18	24	उडीसा	2347	2383	2
7	छत्तीसगढ़	1852	2136	15	25	पंजाब	1162	1290	11
8	दिल्ली	3146	3698	18	26	पांडिचेरी	152	165	9
9	गुजरात	5619	6621	18	27	राजस्थान	2456	2713	10
10	दमन एवं दिव	77	94	22	28	सिक्कीम	150	214	43
11	दादर एवं नगर हवेली	129	154	20	29	त्रिपुरा	48	59	24
12	गोवा	342	363	6	30	तमिलनाडू	5415	6422	19
13	हिमाचल प्रदेश	595	699	18	31	तेलंगाना	3014	3320	13
14	हरियाण	4646	5365	15	32	उत्तराखण्ड	1055	1213	15
15	झारखण्ड	1995	1943	–3	33	उत्तरप्रदेश	4907	5489	11
16	केरल	1416	1651	17	34	लक्ष्यद्वीप	4	1	–78
17	कर्नाटक	6209	6886	11	35	पश्चिम बंगाल	3230	3748	16
18	मणिपुर	27	44	64	36	जम्मू और कश्मीर	293	409	40
						योग	**69934**	**80747**	**16**

❖◆❖